न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–104/2016

CIS NO. TS 372/2018

रेयाज अहमद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मो0 रिजवानुल्लाह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
04.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–05 ता 14 की ओर से आवेदन दिनांक 29.10.2024 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 04.01.2025 को सुनवाई हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–05 ता 14 की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी सं0–05 ता 14 के साक्ष्य हेतु नियत है। साक्ष्य की तैयारी के दौरान कुछ तथ्य टंकक के गलती से बयान तहरीरी में गलत टंकित हो गया है तथा कुछ तथ्य टंकित होना छुट गया है। दाखिल बयान तहरीरी के पैरा न0–08 के अंत में स्वत्व वाद सं0–91/1993 के अभिलेख का पक्का नकल प्राप्त करने हेतु न्यायालय मुंसिफ बगहा के न्यायालय से सुचना मिला कि अभिलेख दिनांक 04.06.1996 को जला दिया गया है जिसे टंकित होना छुट गया है। पैरा न0–18 के चौथे लाईन में बक्ख्शीशनामा दस्तावेज सं0–9741 के बजाय 9641 टंकित हो गया है तथा उसी लाईन में दिनांक 02.07.1992 के बजाय दिनांक 02.06.1992 टंकित हो गया है तथा पैरा न0–29 के अंत में प्रतिवादीगण का दावा प्रतिकुल कब्जा के आधार पर सही है एवं उपरोक्त वाद खारिज	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–104/2016</u>

<u>CIS NO. TS 372/2018</u>

रेयाज अहमद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मो0 रिजवानुल्लाह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 04.01.2025	होने योग्य है, टंकित होना छुट गया है। प्रस्तावित संशोधन महज औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई असर नही पडता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए प्रतिवादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेंगें। वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं0–05 ता 17 के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 11.12.2024 को दाखिल कर कहा गया कि वाद प्रतिवादीगण के साक्ष्य हेतु नियत है। वादीगण के द्वारा दिनांक 05.06.2018 को बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण का प्रस्तावित संशोधन क की जानकारी शुरू से ही थी तथा ख एवं ग स्वीकृत होने योग्य नहीं है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। प्रतिवादी सं0–05 ता 14 द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–104/2016</u>

<u>CIS NO. TS 372/2018</u>

रेयाज अहमद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मो0 रिजवानुल्लाह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 04.01.2025	कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (Life Insurance Corporation of India V. Sanjeev Builders Private Limited and another, AIR 2002 SC 4256) Amendment may be justifiably allowed where it is intended to rectify the absence of material particulars in the plaint. प्रतिवादी सं0–05 ता 14 का आवेदन दिनांक 29.10.2024 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत प्रति वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें तथा संशोधन उपरांत सिरिस्तेदार अपना प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करें। वाद दिनांक 17.01.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	